राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	73 / 2010 शिवराम मीणा	1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर। 2. महानिरीक्षक, पुलिस (रेल्वे), राजस्थान, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, जीआरपी, अजमेर। 4. श्री सुल्तान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल नं. 338, अब हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत एवं कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेल्वे, अजमेर जरिये महानिरीक्षक, पुलिस (रेल्वे), राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित। 5. श्री मुथुरेश बिहारी पुत्र श्री रामलाल, कांस्टेबल नं. 813, पदोन्नत हैड कांस्टेबल जीआरपी थाना, जयपुर जरिये पुलिस महानिरीक्षक, (रेल्वे), राजस्थान, जयपुर। 6. श्री कैलाश चन्द्र मीणा पुत्र श्री हीरालाल, कांस्टेबल नं. 613, वर्तमान पदोन्नत हैड कांस्टेबल पदस्थापित जीआरपी थाना जयपुर जरिये पुलिस महानिरीक्षक, (रेल्वे), राजस्थान, जयपुर।।	07.01.2010	श्री बी.बी.एल शर्मा, अभिभाषक एवं डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	74 / 2010 राज कुमार सिंह			

आदेश की दिनांक : 03.07.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 73 / 2010 शिवराम मीणा बनाम महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2007 एवं 10.08.2008 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण को हैड कांस्टेबल के पद पर डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति हेतु उनसे कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति की तिथि से अपीलार्थीगण के नाम पर विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहा है और प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा हैड कांस्टेबल की पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की दिनांक 27.11.2007 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम

क्रम संख्या 5 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी ने योग्यात्मक परीक्षा दिनांक 07.12.2007 को भाग लिया, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी योग्य पाया गया और सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें अपीलार्थी को भी बुलाया गया और तदुपरान्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की पदोन्नति सूची दिनांक 11.12.2007 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई। जबकि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 1988 के नियम 27 के तहत चयन बोर्ड प्रक्रिया द्वारा नियम 29 के तहत रिक्तियों के 1/3 सफल कार्मिक सूची तैयार करना और जिन अभ्यर्थियों ने 40 प्रतिशत से अधिक प्रथम एवं द्वितीय भागों में अंक प्राप्त करवाने वाले अभ्यर्थियों की रिक्तियों के 1/3 सफल कार्मिकों की सूची तैयार किए जाने का प्रावधान है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने प्रथम एवं द्वितीय दोनों परीक्षाओं में कुल 45 से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों की सूची तैयार की, जो उक्त नियमों के विरूद्ध है। वर्ष 2007–08 में हैड कांस्टेबल के 10 पद रिक्त थे, जिसमें आदेश दिनांक 11.12.2007 के द्वारा 10 कार्मिकों को पदोन्नत कर दिया गया, परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी एसटी वर्ग का कार्मिक है। उनका कथन है कि एसटी वर्ग में कैलाश मीणा, मुथुरेश बिहारी को पदोन्नत कर दिया गया जबकि उनका नाम साक्षात्कार सूची में क्रम संख्या 23 एवं 17 पर था। जबकि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 10 पर अंकित था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों को बुलाया गया। परंतु उक्त सूची में भी अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया और आदेश दिनांक 10.08.2008 के द्वारा 6 कार्मिकों को पदोन्नत कर दिया गया। लेकिन अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 11.12.2007 एवं 10.08.2008 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति हेतु उनसे कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति की तिथि से अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी लिखित परीक्षा में सफल रहा, परंतु परीक्षा के आगामी चरण आउटडोर एवं साक्षात्कार दक्षता परीक्षा में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मेरिट अंकों के आंकलन से योग्य नहीं पाया गया, जिसके कारण अपीलार्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम में चयन मण्डल द्वारा हैड कांस्टेबल के लिए योग्य नहीं माना गया। उक्त पदोन्नति प्रक्रिया पूर्णतः पुलिस सेवा नियमों के

अनुसार सम्पन्न की गई, जिसमें अपीलार्थी असफल रहने के कारण पदोन्नति नहीं हो सकी। अपीलार्थी संतरी ड्यूटी के दौरान सोते पाए जाने पर कार्यालय के दण्ड से दण्डित किया गया एवं दिनांक 14.03.1987 को बैरिक संतरी ड्यूटी पर चैक करने पर नहीं मिलने पर ई.ओ.बी. 180/87 के द्वारा दो दिन की पी.डी. की सजा से दण्डित किया गया और दिनांक 10.03.1986 से 13.03.1986 तक 4 दिन स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने पर दिनांक 17.03.1986 के द्वारा 4 दिन ई.ओ.एल. व 8 दिन पी.डी. की सजा और इसी तरह और सजा होने पर उसके 28 दिन अवैतनिक स्वीकार की गई। प्रत्येक पात्र एवं योग्य उम्मीदवारों के अंकों का निर्धारण चयन बोर्ड द्वारा गहनता से करने के उपरांत उसकी योग्यता सेवाभिलेख के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं और निर्धारित मापदण्ड अपीलार्थी द्वारा पूर्ण नहीं करने पर उसे बोर्ड द्वारा पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में हैड कांस्टेबल के पद के लिए योग्यात्मक परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा उक्त परीक्षा में दिनांक 07.12.2007 को भाग लिया गया, अपीलार्थीगण का परीक्षा उत्तीर्ण पश्चात् साक्षात्कार लिया गया। तदुपरान्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की पदोन्नति सूची दिनांक 11.12.2007 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण को पदोन्नति नहीं दी गई। जहां तक अपीलार्थीगण को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थीगण के प्राप्तांकों का निर्धारण चयन बोर्ड द्वारा गहनता से करने के उपरांत ही उनकी योग्यता सेवाभिलेख के अनुरूप होने के साथ–साथ प्रथम चरण में लिखित, प्रायोगिक, परेड और अन्य बाहृय परीक्षाएं तथा द्वितीय चरण में साक्षात्कार और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों सहित सेवाभिलेख का परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड के आधार पर चयन/पदोन्नति प्रदान की जाती है। अपीलार्थीगण लिखित परीक्षा में सफल रहे, परंतु परीक्षा के आगामी चरण आउटडोर एवं साक्षात्कार दक्षता परीक्षा में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मेरिट अंकों के आंकलन से योग्य नहीं पाया गया, जिसके कारण अंतिम परीक्षा परिणाम में बोर्ड द्वारा अपीलार्थीगण को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति योग्य नहीं पाया गया। अपीलार्थीगण को उनके कर्तव्यों (ड्यूटी)

के प्रति बरती गई लापरवाही के कारण एवं स्वेच्छा से अवकाश दिनांक 10.03.1986 से 13.08.1986, दिनांक 02.10.1991 से 15.11.1991, दिनांक 09.12.1995 से 12.12.1995, दिनांक 12.04.1996 से 15.04.1996 एवं दिनांक 29.12.2002 कुल 58 दिवस अवकाश रहने पर उसके अवकाश अवैतनिक स्वीकार किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का सेवाकाल संतोषजनक नहीं रहा। अतः उक्त पदोन्नति प्रक्रिया पूर्णतः राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत गठित बोर्ड आधार पर सम्पन्न की गई है, जिसमें अपीलार्थीगण का सम्पूर्ण मूल्यांकन पश्चात् हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत योग्य नहीं पाए गए। इस प्रकार उक्त अपीलों में बल नहीं होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित दोनों अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 73/2010 शिवराम मीणा बनाम महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 74/2010 राज कुमार सिंह में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य